न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य आर0ए0एस

मुकदमा नं0 12/2019

बसरू पुत्र सुफेदा जाति मेव निवासी ग्राम सोमका तहसील पहाडी

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत सोमका जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सोमक तहसील पहाडी ।
2. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील पहाडी

रैस्पोडेन्टस्

अन्तर्गत धारा 75 आर0एल0आर0 एक्ट
अपील विरूद्ध ग्राम पंचायत सोमका
दाखिल खारिज संख्या 670 दिनांक 07.12.18 बांके ग्राम सोमका
व दाखिल खारिज नं0 437 दिनांक 07.12.18 बांके ग्राम मूंगस्का
तहसील पहाडी (भरतपुर)

उपस्थित :— श्री अशोक शर्मा वकील अपीलान्ट

दिनांक :— 19.11.2019

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय के साथ पेश की खाता संख्या 274 बांके ग्राम सोमका व खाता संख्या 100, 115, 150, 168, बांके ग्राम मूंगस्का तहसील पहाडी में स्थित है। अपीलान्ट के पिता का इन्तकाल हो चुका है। जिसके बाद अपीलान्ट ने पिता के वारिसान का नमान्तकरण संख्या 670 सोमका व 437 ग्राम मूंगस्का दिनांक 07.12.2018 को जरिये ग्राम पंचायत सोमका द्वारा दर्ज किया गया था। दिनांक 07.12.2018 द्वारा खोले गये दाखिल खारिज में अपीलान्ट बसरू को छोड दिया जबकि अपीलान्ट के पिता का नसरूद्दीन नाम का कोई वारिस नहीं था। अपीलान्ट की माँ व दोनो बहनो ने अपीलान्ट व उसके दोनो भाईयों को अपने हिस्से का हकत्याग कर दिया जिसके बाद आराजी मुत0 में अपीलान्ट व उसके भाईयों का हिस्सा रहा है। जिसके दाखिल खारिज रैस्पोडेन्स संख्या 1 ग्राम पंचायत सोमका द्वारा खोला गया । उसमें अपीलान्ट बसरू के नाम के स्थान पर नसरूद्दीन के नाम दर्ज कर दिया है। उक्त गलत नामान्तकरण के अनुसार अपीलान्ट के नाम का गलत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में अमल हो गया। निवेदन

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर) राज0

Scanned by CamScanner

है कि नामान्तकरण संख्या 670 बांके ग्राम सोमका व 437 बांके ग्राम मूंगस्का किये गये गलत इन्द्राज नसरूद्दीन के स्थान पर बसरू किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलव किया गया रैस्पोडेन्ट बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस में वकील अपीलान्ट ने अपील में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि खाता संख्या 274 बांके ग्राम सोमका एवं खाता संख्या 100,115,150, 168 बांके ग्राम मूंगस्का में दर्ज आराजी प्रार्थी के पिता की खातेदारी की आराजी थी। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु होने के बाद विरासत के दाखिल खारिज चढाते वक्त रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बिना कोई जानकारी किये अपीलान्ट का नाम बसरू के स्थान पर नसरूद्दीन दर्ज कर दिया। जिसके दर्ज रहने से अपीलान्ट को काफी परेशानी आ रही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 670 एवं 437 निरस्त किये जाकर पुनः तहसीलदार पहाडी को रिमाण्ड किये जाकर अपीलान्ट का नाम नसरूद्दीन के स्थान पर बसरू शुद्ध किये जाने की आज्ञा फरमाये।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया । जिससे अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 670 दिनांक 07.12.2018 बांके ग्राम सोमका एवं नामान्तकरण संख्या 437 दिनांक 07. 12.2018 बांके ग्राम मूंगस्का तहसील पहाडी निरस्त किये जाते है। पत्रावली तहसीलदार पहाडी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि वे अपीलान्ट के नाम नसरूद्दीन के स्थान पर सही नाम बसरू दर्ज कर दाखिल खारिज की कार्यवाही करें। निर्णय प्रति तहसीलदार पहाडी को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड पहाडी जिला भरतपुर

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

Scanned by CamScanner